न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या 2019/00077 (77/2019) 223 आरटीएक्ट

1. गुरदीप सिहं पुत्र श्री कौर सिहं, जाति जटसिख, निवासी बोलावाली, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़ ––अपीलांट/वादी संख्या–1

बनाम

1. दर्शन सिहं पुत्र उर्फ सुदर्शन सिहं
2. गुरतेज सिहं
3. महेन्द्र सिहं

पिसरान श्री दरबारा सिहं, जाति जटसिख निवासी अमरगढ़, तहसील व जिला बठिण्डा

4. बलजीत कौर
5. गुरजीत कौर

पुत्रीया दरबारा सिहं ––जाति जटसिख, निवासीगण अमरगढ़, व जिला बठिण्डा

6. गुरदेव कोर बेवा दरबारा सिहं
7. अन्तकौर
8. ज्ञान कौर

वचन सिहं, जाति जटसिख, निवासी बोलावाली, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़

9. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़
10. उपपंजीयक एवं मुद्रांक विभाग, संगरिया, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़
11. ओ०बी०सी० बैंक शाखा संगरिया, जरिये शाखा प्रबन्धक

रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण संख्या–1 से 11

12. मीता सिहं पुत्र श्री वचन सिहं, जाति जटसिख, निवासी बोलावाली, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़ –तरतीबी रेस्पोडेंट/वादी संख्या–2

अपील विरूद्व निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 11–04–2019 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) संगरिया, राजस्व वाद संख्या–78/2009 शीर्षक गुरदीप सिहं आदि बनाम दर्शन सिहं आदि

अधिवक्ता–

श्री राजेश कुमार छिम्पा अपीलाण्ट की ओर से

श्री खुशप्रीतसिंह संधू अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 6

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 9

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय दिनांकः–16.03.2020

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी संख्या 1/अपीलाण्ट व वादी संख्या–2/रेस्पोडेंट संख्या–12 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चक 7 एनटीडब्ल्यू. 16 बीजीपी व चक 17 बीजीपी में अपीलांट व रेस्पो0 संख्या–1 से 6 के विरुद्ध खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु इन अभिकथनों के साथ वादपत्र प्रस्तुत किया कि वे संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य हैं तथा उनकी तहसील संगरिया के उक्त वर्णित चकों के अलावा पुश्तैनी गांव अमरगढ़ तहसील व जिला बठिण्डा में भी कृषि भूमि है तथा पारिवारिक व्यवस्था के अनुसार स्व0 श्री दरबारा सिहं के वारिसान ने गांव अमरगढ़ तहसील व जिला बठिण्डा की कृषि भूमि प्राप्त की है तथा तहसील संगरिया की उक्त वर्णित भूमि वचन सिहं व कौर सिहं के वारिसों को प्राप्त हुई है तथा इस पारिवारिक व्यवस्था अनुसार अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या–12 तहसील संगरिया की उक्त वर्णित चक 7 एनटीडब्ल्यू, चक 16 बीजीपी व चक 17 बीजीपी में संयुक्त खाता में रेस्पोडेंट संख्या–1 से 6 के हक व हिस्सा की भूमि पर काबिज हैं लेकिन राजस्व अभिलेख में यह भूमि अभी तक रेस्पोडेंट संख्या–1 से 6 के नाम दर्ज रहने से उनके खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है। अतः रेस्पोडेंट संख्या–1 से 6 व 8 व 9 का नाम उक्त चकों के संयुक्त खातों में से विलोपित किया जाकर अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या–12 की बहिस्सा बराबर की घोषित फरमाई जावे तथा रेस्पोडेंट संख्या–1 से 6 व 7 व 8 के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का भी निवेदन किया कि वे राजस्व अभिलेख में अपने नाम प्रविष्टि होने का फायदा उठाते हुये यह भूमि अन्य व्यक्तियों को रहन बैय व मुन्तकिल नहीं करें तथा वे इस भूमि पर जबरन कब्जा करने से निषिद्व रहें।

2. रेस्पोडेंट संख्या–1 से 6 ने पक्षकारों की तहसील संगरिया व पैतृक गांव अमरगढ़ तहसील व जिला बठिण्डा में कृषि भूमि के होने के तथ्य को स्वीकार किया लेकिन कथित रूप से पारिवारिक व्यवस्था अनुसार घरू विभाजन होने के तथ्य से इन्कार करते हुये इस तथ्य को आंशिक रूप से स्वीकार किया कि उनके द्वारा सिर्फ चक 7 एनडीडब्ल्यू की 5 बीघा (अर्थात 25 कनाल भूमि) ही पैतृक गांव अमरगढ़ में अपने हिस्सा की भूमि में से 25 कनाल भूमि के तबादला में अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या–12 को दी हुई है तथा शेष भूमि को सम्बन्ध में कोई तबादला नहीं किया है बल्कि उनके हक व हिस्सा की शेष भूमि पर

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपीलाण्ट का कब्जा काश्त होना स्वीकार करते हुये यह भूमि उनके द्वारा अपीलांट व रेस्पो0 सं0 –12 को ठेका पर दिये जाने का कथन किया व काउण्टर क्लेम प्रस्तुत करते हुये तबादला में दी गई चक 7 एनटीडब्ल्यू की 25 कनाल अर्थात 5 बीघा को छोड़ते हुये शेष भूमि के सम्बन्ध में खाता विभाजन व कब्जा दिलाये जाने का अनुतोष याचित किया।

3. अभिवचनों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विवाधक विरचित किये। अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या–12 की ओर से मौखिक साक्ष्य में पीडब्ल्यू–1 गुरदीप सिहं, पीडब्ल्यू–2 जगदीश सिहं व पीडब्ल्यू–3 जगदेव सिहं को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 से प्रदर्श–11 दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये। रेस्पोडेंट संख्या–1 से 6 की ओर से डीडब्ल्यू–1 दर्शन सिहं परीक्षित हुआ व दस्तावेजी साक्ष्य में कोई तहरीरी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 11–04–2019 को निर्णय फरमाते हुये अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या–12 का वादपत्र खारिज फरमाते हुये रेस्पोडेंट संख्या–1 से 6 का काउण्टर क्लेम स्वीकार फरमाते हुये चक 7 एनटीडब्ल्यू के खाता संख्या–13/12 व चक 16 बीजीपी के खाता संख्या–10/7 तथा चक 17 बीजीपी के खाता संख्या–22/17 की कृषि भूमि में रेस्पोडेंट संख्या–1 से 6 को खाता विभाजन का अधिकारी होने की अवधारणा पारित करते हुये प्राथमिक डिक्री जारी फरमाई है। अपीलांट ने उक्त निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 11–04–2019 से व्यथित होकर यह अपील की है।
4. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
5. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्टने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 11–04–2019 कतई गलत, विधि विरूद्व एवं अनुचित एवं विधि के प्रावधानों की कतई अनदेखी करते हुये पारित किया गया है जो अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवाधक संख्या–1 व 3 व 7 का निर्णय अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या–12 के विरूद्व करने में विधि व तथ्य की भूल की है। संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्यों के मध्य घरूविभाजन मौखिक तौर पर भी अनुज्ञेय है तथा हिन्दू विधि के अनुसार पारिवारिक व्यवस्था को लिखित रूप में अमल में लाया जाना कानूनन अनिवार्य नहीं है। रेस्पोडेंट संख्या–1 से 6 ने इस पारिवारिक व्यवस्था को आंशिक रूप से स्वीकार किया है तथा चक 7 एनटीडब्ल्यू की भूमि की हद तक यह पारिवारिक व्यवस्था लागू होने व शेष चकों के सम्बन्ध में कोई तबादला व पारिवारिक व्यवस्था लागू न होने के कथन

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

किये हैं जबकि इसके विपरीत रेस्पोडेंट संख्या–1 से 6 की तीनों चकों की भूमि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या–12 के कब्जा काश्त में होना निर्विवादित था। रेस्पोडेंट संख्या–1 से 6 ने चक 16 व 17 बीजीपी की भूमि कथित रूप से अपीलांट व रेस्पोडेट सख्या 12 के पास ठेका पर काश्त होने का कथन किया है लेकिन इस तथ्य के सम्बन्ध में कोई ठेकानामा या लिखत प्रस्तुत नहीं की है। रेस्पोडेंट संख्या–1 से 6 के हक व हिरसा की तीनों चकों की भूमि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या–12 के भौतिक कब्जा में होने से यह उपधारणा थी कि रेस्पोडेंट संख्या–1 से 6 ने अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या–12 के हिस्सा की पैतृक गांव अमरगढ़ तहसील व जिला बठिण्डा के तबादले में दी हुई थी तथा यह पारिवारिक व्यवस्था लगभग 20 वर्षों से चली आ रही थी। रेस्पोडेंट संख्या–1 से 6 ने कथित ठेका पर दिये जाने के तथ्य को विपरीत रूप से साबित नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने घरूविभाजन की लिखत होना अनिवार्य मानकर यह विवाधक अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या–11 के विरूद्व करने में तात्विक व विधिक भूल की है। कि विवाधक संख्या–4 का निर्णय रेस्पोडेंट संख्या–1 से 6 के पक्ष में करने में अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक भूल की है। रेस्पोडेंट संख्या–1 से 6 ने वादीगण/अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या–12 के वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 आरटीए में काउण्टर क्लेम अन्तर्गत धारा 53 आरटीए प्रस्तुत किया है। वादीगण/अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या–12 का वादपत्र सिर्फ प्रतिवादीगण संख्या–1 से 8 के विरूद्व ही था तथा इस कारण प्रश्नगत भमि के सभी सहखातेदारों को अपीलांट व रेस्पाडेंट संख्या–12 ने अपने वादपत्र में संयोजित नहीं किया था व ना ही संयोजित किये जाने की आवश्यकता थी लेकिन रेस्पोडेंट संख्या–1 से 6 ने खाता विभाजन के अनुतोष हेतु काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया था व इस अनुतोष हेतु धारा 53 आरटीए के अन्तर्गत सभी सहखातेदार आवश्यक पक्षकार थे। अधीनस्थ न्यायालय ने इस विधिक स्थिति को नजरन्दाज कर आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन के बावजूद खाता विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित करने में विधिक भूल की है। स्वीकृतयः अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या–12 प्रश्नगत भूमि पर भौतिक रूप से काबिज रहे हैं तथा रेस्पोडेट संख्या–1 से 6 से कब्जा से विलग (out of possession) थे तथा कानूनन धारा 183 आरटीए का अनुतोष प्राप्त किये बिना रेस्पोडेट संख्या–1 से 6 सिर्फ धारा 53 आरटीए के अन्तर्गत मात्र खाता विभाजन अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं थे। रेस्पोडेंट संख्या–1 से 6 ने यह आपति अपीलांट व

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

रेस्पोडेंट संख्या–1 से 6 के प्रति आपति उठाई थी कि चक 15 बीजीपी के खाता संख्या–75/71 को वादपत्र में शामिल नहीं किया गया है। यद्यपि वादीगण/अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या–12 का वादपत्र घोषणा हेतु चक 7 एनटीडब्ल्यू, चक 16 बीजीबी व 17 बीजीपी की कृषि भूमि तक ही सीमित था लेकिन खाता विभाजन के काउण्टर क्लेम में समस्त जोतों को शामिल किया जाना अनिवार्य था। रेस्पोडेंट संख्या–1 से 6 ने चक 15 बीजीपी के खाता संख्या–75/71 की भूमि को शामिल नहीं किया है व ना ही इस भूमि के सम्बन्ध में कोई अनुतोष चाहा है। इस कारण । प्राथमिक डिकी दोषपूर्ण है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 11–04–2019 को अपास्त फरमाया जावे।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेंट संख्या–1 से 6 ने पक्षकारों की तहसील संगरिया व पैतृक गांव अमरगढ़ तहसील व जिला बठिण्डा में कृषि भूमि के होने के तथ्य को स्वीकार किया लेकिन कथित रूप से पारिवारिक व्यवस्था अनुसार घरू विभाजन होने के तथ्य से इन्कार करते हुये इस तथ्य को आंशिक रूप से स्वीकार किया कि उनके द्वारा सिर्फ चक 7 एनडीडब्ल्यू की 5 बीघा (अर्थात 25 कनाल भूमि) ही पैतृक गांव अमरगढ़ में अपने हिस्सा की भूमि में से 25 कनाल भूमि के तबादला में अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या–12 को दी हुई है तथा शेष भूमि को सम्बन्ध में कोई तबादला नहीं किया है बल्कि उनके हक व हिस्सा की शेष भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त होना स्वीकार करते हुये यह भूमि उनके द्वारा अपीलांट व रेस्पो0 सं0 –12 को ठेका पर दिये जाने का कथन किया व काउण्टर क्लेम प्रस्तुत करते हुये तबादला में दी गई चक 7 एनटीडब्ल्यू की 25 कनाल अर्थात 5 बीघा को छोड़ते हुये शेष भूमि के सम्बन्ध में खाता विभाजन व कब्जा दिलाये जाने का अनुतोष याचित किया था। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि जहां विचारणीय न्यायालय द्वारा वाद के फैसले के साथ साथ पत्रावली में मौजूद काउण्टर क्लेम का आदेश दिया हो हो वहां अपीलीय न्यायायल में वाद अपीलाण्ट को वाद के आदेश व काउण्टर क्लेम के आदेश के विरूद्ध दो अपीलें प्रस्तुत करनी पड़ेगी एक ही अपील में दोनों आदेशों को कानूनन चुनाती नहीं दी जा सकती तथा

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

वर्तमान प्रकरण में भी विचारणी न्यायायल द्वारा वाद वादीगण खारिज किया जाकर काउण्टर क्लेम प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया गया है जिसक विरूद्ध अपीलाण्ट को विधि अनुसार दो अपीलें प्रस्तुत करनी चाहिए थी जबकि अपीलाण्ट द्वारा एक ही अपील प्रस्तुत की र्ग सिसे प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउण्टर बाबत डिक्री अस्तित्व में है जिसे चुनौती नही दी गई है इस कारण अपील अपीलाण्ट विधि अनुसार पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज योग्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धानत प्रतिपादित यिा है कि राजीनामा के उपरान्त राजीनामा करने वाल व्यक्ति विबंध के सिद्धान्त से प्रतिबंधित हो जता है। तथा राजीनामा में लिखित शर्तों से बाहर कानूनन नहीं जा सकते तथा अअगर कोई व्यक्ति किसी दस्तावजात पर अपने हस्ताक्षर करता है तो वह अवधारणा कानूनन मानी जावेगी कि उस व्यक्ति द्वारा लिखित को सुन समझकर हस्ताक्षर किय हैं तथा वह लिखित से विबंधित हो जाता है इससे बाहर कथन नहीं कर कसता है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में सीसीसी 2014 (2) पेज 133, डीएनजे 2010 सुप्रीम कोर्ट पज 202, आरआरटी 2019 (2) पेज 896, डीएनजे 2019 (2) पेज 127 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

7. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

8. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

9. अधीनस्थ न्यायालय में वादी संख्या 1/अपीलाण्ट व वादी संख्या–2/रेस्पोडेंट संख्या–12 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चक 7 एनटीडब्ल्यू. 16 बीजीपी व चक 17 बीजीपी में स्थिति कृषि भूमि के लिए अपीलांट व रेस्पो0 संख्या–1 से 6 के विरुद्ध खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा जा खारिज किया गया है।

10. संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्यों के मध्य घरूविभाजन मौखिक तौर पर भी अनुज्ञेय है तथा हिन्दू विधि के अनुसार पारिवारिक व्यवस्था को लिखित रूप में अमल में लाया जाना कानूनन अनिवार्य नहीं है। रेस्पोडेंट संख्या–1 से 6 ने इस पारिवारिक व्यवस्था को आंशिक रूप से स्वीकार किया है तथा चक 7 एनटीडब्ल्यू की भूमि की हद तक यह पारिवारिक व्यवस्था लागू होने व शेष चकों के सम्बन्ध में कोई तबादला व पारिवारिक व्यवस्था लागू न होने के कथन

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

किये हैं जबकि इसके विपरीत रेस्पोडेंट संख्या–1 से 6 की तीनों चकों की भूमि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या–12 के कब्जा काश्त में होना निर्विवादित था। रेस्पोडेंट संख्या–1 से 6 ने चक 16 व 17 बीजीपी की भूमि कथित रूप से अपीलांट व रेस्पोडेट सख्या 12 के पास ठेका पर काश्त होने का कथन किया है लेकिन इस तथ्य के सम्बन्ध उनके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे ये साबित हो किया प्रश्नगत भूमि उनके द्वारा अपीलाण्ट को ठेके पर दी गई थी। प्रकरण में यह कथन आया है कि रेस्पोडेंट संख्या–1 से 6 ने अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या–12 के हिस्सा की पैतृक गांव अमरगढ़ तहसील व जिला बठिण्डा के तबादले में दी हुई थी तथा यह पारिवारिक व्यवस्था लगभग 20 वर्षों से चली आ रही थी। अधीनस्थ न्यायालय ने घरूविभाजन की लिखत होना अनिवार्य माना मानते हुए तात्विक व विधिक भूल की है। **रेस्पोडेंट संख्या–1 से 6 ने वादीगण/अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या–12 के वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 आरटीए में काउण्टर क्लेम अन्तर्गत धारा 53 आरटीए प्रस्तुत किया है। वादीगण/अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या–12 का वादपत्र सिर्फ प्रतिवादीगण संख्या–1 से 8 के विरूद्व ही था तथा इस कारण प्रश्नगत भूमि के सभी सहखातेदारों को अपीलांट व रेस्पाडेंट संख्या–12 ने अपने वादपत्र में संयोजित नहीं किया था व ना ही संयोजित किये जाने की आवश्यकता थी** रेस्पोडेंट संख्या–1 से 6 ने यह आपति अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या–1 से 6 के प्रति आपति उठाई थी कि चक 15 बीजीपी के खाता संख्या–75/71 को वादपत्र में शामिल नहीं किया गया है। यद्यपि वादीगण/अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या–12 का वादपत्र घोषणा हेतु चक 7 एनटीडब्ल्यू, चक 16 बीजीबी व 17 बीजीपी की कृषि भूमि तक ही सीमित था लेकिन खाता विभाजन के काउण्टर क्लेम में समस्त जोतों को शामिल किया जाना अनिवार्य था। रेस्पोडेंट संख्या–1 से 6 ने चक 15 बीजीपी के खाता संख्या–75/71 की भूमि को शामिल नहीं किया है व ना ही इस भूमि के सम्बन्ध में कोई अनुतोष चाहा है। अधीनस्थ न्यायालय में अपने प्रार्थना–पत्र बाबात विभाजन प्रस्ताव आदेश 151 सीपीसी में उसके द्वारा 7 एनटीडब्ल्यू, 16 बीजीपी, 17 बीजीपी, 15 बीजीपी कुल चार चकों में प्रतिवादीगण को 15 बीघा 18 बिस्वा कृषि भूम आने का कथन किया है। उपरोक्ता विवेचनानुसार तनकी नं. 4 में चक 7 एनटीडब्ल्यू खाता संख्या 13/12 तबादलानामा दिनांक 22.05.2000 के आधार पर 5 बीघा आराजी के अपीलाण्ट व रेस्पो0 सं0 12 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने योग्य है

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

एवं रेस्पो0 सं0 1 ता 6 का 5 बीघा हिस्सा कम किया जाने योग्य है एवं शेष अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.04.2019 यथावत रखे जाने योग्य है।

11. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.04.2019 में आंशिक संशोधन करते हुए तनकी नं. 4 में चक 7 एनटीडब्ल्यू खाता संख्या 13/12 तबादलानामा दिनांक 22.05.2000 के आधार पर 5 बीघा आराजी के अपीलाण्ट व रेस्पो0 सं0 12 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रेस्पो0 सं0 1 ता 6 का 5 बीघा हिस्सा कम किया जाता हैं। शेष अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री यथावत यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 07.04.2020 को पेश हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

12. निर्णय आज दिनांक 16.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

(आशाराम डूडी आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ

डिक्री व सीगे अपील

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या 2019/00077 (77/2019) 223 आरटीएक्ट

1. गुरदीप सिहं पुत्र श्री कौर सिहं, जाति जटसिख, निवासी बोलावाली, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़ ––अपीलांट/वादी संख्या–1

बनाम

1. दर्शन सिहं पुत्र उर्फ सुदर्शन सिहं
2. गुरतेज सिहं
3. महेन्द्र सिहं

} पिसरान श्री दरबारा सिहं, जाति जटसिख निवासी अमरगढ़, तहसील व जिला बठिण्डा

4. बलजीत कौर
5. गुरजीत कौर

} पुत्रीया दरबारा सिहं ––जाति जटसिख, निवासीगण अमरगढ़, व जिला बठिण्डा

6. गुरदेव कोर बेवा दरबारा सिहं

7. अन्तकौर
8. ज्ञान कौर

} वचन सिहं, जाति जटसिख, निवासी बोलावाली, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़

9. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़
10. उपपंजीयक एवं मुद्रांक विभाग, संगरिया, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़
11. ओ०बी०सी० बैंक शाखा संगरिया, जरिये शाखा प्रबन्धक

रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण संख्या–1 से 11

12. मीता सिहं पुत्र श्री वचन सिहं, जाति जटसिख, निवासी बोलावाली, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़ –तरतीबी रेस्पोडेंट/वादी संख्या–2

अपील विरूद्व निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 11–04–2019 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) संगरिया, राजस्व वाद संख्या–78/2009 शीर्षक गुरदीप सिहं आदि बनाम दर्शन सिहं आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री राजेश कुमार छिम्पा अधिवक्ता अपीलाण्ट की ओर से, श्री खुशप्रीतसिंह संधू अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 6, श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 9 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.04.2019 में आंशिक संशोधन करते हुए तनकी नं. 4 में चक 7 एनटीडब्ल्यू खाता संख्या 13/12 तबादलानामा दिनांक 22.05.2000 के आधार पर 5 बीघा आराजी के अपीलाण्ट व रेस्पो0 सं0 12 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाता है एवं रेस्पो0 सं0 1 ता 6 का 5 बीघा हिस्सा कम किया जाता हैं। शेष अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री यथावत यथावत रखा जाता है।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 16.03.2020 को जारी की गई।

(आशाराम डूडी आर. ए. एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.03.24 12:10:32 IST
Reason: SelfAttested
Location: